कार्यालय प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.)

क्रमांक 190/अतिथि व्याख्याता/स्था./ 2024   अकलतरी, दिनांक 04/11/2024

//वैकल्पिक व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन//

(वैकल्पिक व्यवस्था के तहत)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 574/126/आउशि./राज.स्था./2024 नवा रायपुर, दिनॉक 06/07/2024 एवं छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग "मंत्रालय" का पत्र क्रमांक एफ 3–54/स्था./2020/38–1 नवा रायपुर, दिनांक 20/06/2024 के अनुसार नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी, जिला–बिलासपुर (छ.ग.) में पदस्थ अतिथि व्याख्याता (विषय–जन्तु विज्ञान) के प्रसूति अवकाश में जाने के कारण उक्त अवकाश की अवधि में अध्ययन–अध्यापन हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों से वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वैकल्पिक व्याख्याता हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है । उपरोक्त के अन्तर्गत वैकल्पिक व्याख्याता की व्यवस्था कार्यभार ग्रहण तिथि से अधिकतम 28/02/2025 अथवा इसके पूर्व यदि प्रसुति अवकाश पर जाने वाले अतिथि व्याख्याता के कार्य पर उपस्थित होती है तक के लिए किया जायेगा तथा यह वैकल्पिक व्यवस्था स्वमेव समाप्त मानी जावेगी । आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्रों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन दिनांक 13/11/2024 को सायं 3.00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है । निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा ।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताः–

1. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत वैकल्पिक व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी । इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए ।
2. **आयु सीमाः**– अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक ।
3. अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, को प्राथमिकता दी जायेगी ।

विषय/पदों का विवरण :–

क.	विषय	रिक्त पद एवं संख्या	
		प्राध्यापक	सहा.प्राध्यापक
1.	**जन्तुविज्ञान**	**निरंक**	**01**

टीपः– संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानान्तरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी ।

2. समस्त प्रावधान अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अनुसार लागू होगी ।

शर्ते :–

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10 वीं, 12 वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी.एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें ।
2. दिनांक 13/11/2024 समय अपरान्ह 3.00 बजे तक डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा । ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नही किया जावेगा ।
3. अंतिम तिथि उपरान्त महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा ।
4. प्राप्त आवेदनों की अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 16/11/2024 को महाविद्यालय के सूचना पटल व शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर के वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा ।
5. गुणानुक्रम अनुसार अंनतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 18/11/2024 तक होगी।
6. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 19/11/2024 को किया जावेगा जिसका अवलोकन महाविद्यालय की सूचना पटल एवं शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर के वेबसाईट में किया जा सकेगा ।
7. यह आमंत्रण अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अंतर्गत वैकल्पिक व्यवस्था से संबंधित निर्देशों के अधीन होगी ।
8. आमंत्रित अभ्यर्थी की व्यवस्था कार्यभार ग्रहण तिथि से अधिकतम 28/02/2025 अथवा इसके पूर्व यदि प्रसुति अवकाश में जाने वाले अतिथि व्याख्याता कार्य पर उपस्थित होती है तो यह वैकल्पिक व्यवस्था स्वमेव समाप्त मानी जायेगी ।
9. वैकल्पिक व्यवस्था के तहत आमंत्रित वैकल्पिक व्याख्याता को अध्यापन के एवज में नियमानुसार मानदेय एवं एक शैक्षणिक सत्र में 05 माह तक अध्यापन पूर्ण करने की स्थिति में अनुभव प्रमाण पत्र की पात्रता होगी, परन्तु ऐसे वैकल्पिक व्याख्याता को विस्थापित श्रेणी की पात्रता नही होगी ।
10. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नही है, साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नही है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नही पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नही की गई है ।
11. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट–4) देना होगा ।
12. आवेदन उपरान्त संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित नही होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नही किया जाएगा ।
13. वैकल्पिक व्याख्याता की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नही होगा ।
14. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा :–

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
	(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये		
1.	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2.	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/–प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)

(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3.	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/—	350/—
4.	चार कालखण्डों के लिए प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/— (50,000/— प्रतिमाह अधिकतम)	1400/— (35,000/— प्रतिमाह अधिकतम)

15. आवेदक बंद लिफाफे के उपर पत्राचार का पता प्राचार्य, नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी, जिला—बिलासपुर (छ.ग.) एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखें ।
16. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को विश्वविद्यालयीन/महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नही माना जायेगा और वे लोक—सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक—सेवक नही कहलायेगें ।
17. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी , जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी ।
18. इन्हे सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
19. कक्षाओं के संचालन के साथ—साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यकम, कीड़ा गतिविधियॉ, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यॉकन, नैक मूल्यॉकन संबंधी कार्यो में ये सहयोग प्रदान करेंगे ।
20. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाऍ तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नही होंगे ।

sd/-
संस्था प्रमुख/प्राचार्य,
नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी,
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)

पृ.क्र. 191/अतिथि व्या./2024 अकलतरी, दिनांक 04/11/2024

प्रतिलिपिः—

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक—3, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ ।
2. क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, शासकीय ई.राघवेन्द्र राव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय छात्रावास परिसर सीपत रोड बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
3. प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय, शासकीय ई.राघवेन्द्र राव विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीपत रोड बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ ।
4. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय .... को सूचना पटल में चस्पा करने हेतु ।
5. महाविद्यालयीन सूचना पटल में चस्पा करने हेतु ।

संस्था प्रमुख/प्राचार्य,
नवीन शासकीय महाविद्यालय अकलतरी,
जिला—बिलासपुर (छ.ग.)